

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12022022-233360
SG-DL-E-12022022-233360

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2022/माघ 22, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 433
No. 80]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022/MAGHA 22, 1943	[N. C. T. D. No. 433

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस-1/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 फरवरी, 2022

सं.16/22/2020/गृ0पु0-1/स्था0./3469-3475.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप-धारा— (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जाएगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. संशोधन :-

उक्त नियम में, नियम 17-ख (xv) में, दिल्ली पुलिस में संचार इकाई के वर्कशॉप हैंड (सिपाही) पद के संबंध में है।

- (1) "पदों की संख्या" के संबंध में कॉलम के सामने प्रविष्टि हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

43*(2021)

* परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर

- (2) "वेतनमान" के संबंध में कॉलम में प्रविष्टि हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

'वेतनमान को वेतन मैट्रिक्स में' — स्तर-3 (रुपये 21,700-69,100/-)

- (3) "परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है" के संबंध में कॉलम में प्रविष्टि हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

दो वर्ष

- (4) "यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।" के संबंध में कॉलम के सामने प्रविष्टि हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

'विभागीय स्थायीकरण समिति' (स्थायीकरण पर विचारार्थ) में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं—

(i) एक पुलिस उपायुक्त (अध्यक्ष)

(ii) दो पुलिस सहायक आयुक्त (सदस्य)

(संबंधित जिलों/इकाईयों से)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पवन कुमार, उप-सचिव (गृह-1)

टिप्पणी : दिनांक 31.12.1980 के दिल्ली राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ.10/52/80-गृह (पुलिस)/स्था0 (1) द्वारा जारी दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 के प्रमुख नियमों में मूल नियम 17-ख (xv) को सन्निविष्ट किया गया जो दिनांक 31.07.1986 को दिल्ली राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ.5/46/84-गृह (पुलिस)/स्था0 द्वारा संशोधित किया गया तथा दिनांक 09.01.2013 को अधिसूचना संख्या एफ.13/21/2003-गृह पुलिस-1/स्था0/6753-6758 द्वारा दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 2013 में आगे संशोधित किया गया।

HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th February, 2022

No. F.16/22/2020/HP-I/Estt./3469-3475.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 147 of Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following Rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely:-

1. Short title and commencement:-

- (1) These Rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendments:-

In the said Rule, in Rule 17-B (xv), relating to the post of “Workshop Hand” (Constable) of Communication Unit in Delhi Police.

- (1) For the entry against the column, relating to the “Number of posts”, the following entry shall be substituted, namely:-
43* (2021)
“Subject to variation dependent on work load”.
- (2) For the entry in the column, relating to the “Scale of Pay”, the following entry shall be substituted, namely:-
‘Pay Level in the Pay Matrix’ --- Level-3 (Rs. 21,700--69,100/-)
- (3) For the entry against the column, relating to the “Period of probation, if any”, the following entry shall be substituted, namely:-
Two years.
- (4) For the entry against the column, relating to the “If a DPC exists, what is its composition”, the following entry shall be substituted, namely:-
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-
 - (i) One Deputy Commissioner of Police (Chairman)
 - (ii) Two Assistant Commissioners of Police (Members)
(From the districts/units concerned)

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
PAWAN KUMAR, Dy. Secy. (Home)

Note: The original rule 17-B (xv) was inserted in the Principal Rule of Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980 issued vide Delhi Gazette Notification No. F.10/52/80-Home (Police)/Estt.(1) dated 31.12.1980 through amendment vide Delhi Gazette Notification No. F.5/46/84-Home(P)/Estt. dated 31.07.1986 and further amended vide Delhi Police (Appointment & Recruitment) (Amendment) Rules, 2013 vide Notification No. F.13/21/2003/HP-1/Estt./6753-6758 dated 09.01.2013.